न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर रीवा

म0प्र0

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

R 3903 - II/16

1. नारेन्द्र तनय लोलर प्रसाद

2. शिवानंद तनय लोलर प्रसाद

उपरोक्ता निवासी ग्राम अंकौरी थाना गढ़ तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

---आवेदक

बनाम

1. रामसखा तनय स्व0चन्द्रभान पाठक

2. मिथिला प्रसाद तनय स्व0चन्द्रभान पाठक

3. रामलखन तनय स्व0चन्द्रभान पाठक

उपरोक्त निवासी पोखड़ौर थाना गढ़ तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

---अनावेदकगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 58/अ-6/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 25.10.16 के बिरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के अधीन निगरानी।

**महोदय,**

**निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-**

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन भूमि अनावेदकगणों की पैत्रिक भूमि है जिसमे अनावेदकगणों का उसमे बराबर-बराबर हिस्सा व हक था तथा राजस्व खसरे मे स्व0 चन्द्रभान पाठक के मृत्यु के उपरांत अनावेदक कमांक-2,3 का नाम राजस्व

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3903–दो/16 जिला–रीवा

नारेन्द्र व अन्य विरूद्ध रामसखा आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05–03–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 58/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य 5/3/19 | |